134

78/c

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 28 मार्च, 2002

सं. फा. 1/10/95-98/एल.ए.डी./291.—राष्ट्रपति की दिनांक 15-3-2002 को मिली अनुमति के पश्चात् विधानसभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

''दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा में विपक्ष के नेता (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 2001 (दिल्ली अधिनियम संख्या 6 वर्ष 2002)''

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का विधान सभा द्वारा 20 दिसम्बर, 2001 को यथा पारित)

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधान सभा में विपक्ष के नेता को वेतन तथा भत्ते उपलब्ध कराने के लिए एक अधिनियम

यह भारतीय गणतंत्र के बावनवें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ .**—इस अधिनियम को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा में विपक्ष के नेता (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 2001 कहा जाए।

(2) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से उपराज्यपाल द्वारा यथा नियत तिथि से प्रभावी होगा।

2. **परिभाषाएं.**—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इस अधिनियम में,-

(क) ''विपक्ष का नेता'' का दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा के संदर्भ में अर्थ है कि तत्समय विधानसभा का सदस्य, वह सदन में सरकार के विरोध दल का वह नेता, जिसके पास विधानसभा में अधिक से अधिक संख्या हो और विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा यथा मान्य प्राप्त हो;

व्याख्या.—विधानसभा में सरकार के विरोधी दो या अधिक दल हैं, जिनके सदस्यों की संख्या बराबर-बराबर हो वहां अध्यक्ष दलों की हैसियत को ध्यान में रखते हुए इस धारा के प्रयोजनार्थ इन दलों के नेताओं में से किसी एक को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्रदान करेंगे और यह मान्यता अन्तिम तथा निर्णायक होगी;

(ख) ''अध्यक्ष'' का अर्थ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा के अध्यक्ष से है।

3. **विपक्ष के नेता के वेतन तथा भत्ते.**—(1) विपक्ष के नेता दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन मंत्री (वेतन तथा भत्ते), अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 8) के अनुसार किसी मंत्री को मिलने वाले वेतन, निर्वाचन भत्ते तथा दैनिक भत्ते की समान दरों पर वेतन, निर्वाचन भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।

(2) विपक्ष के नेता दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के मंत्री (वेतन तथा भत्ते), अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 8) के अनुसार किसी मंत्री को-मिलने वाले सत्कार भत्ते की दरों के समान सत्कार भत्ता पाने के हकदार होंगे।

(3) विपक्ष के नेता को दिल्ली से बाहर भ्रमण करने के लिए सवारी भत्ता, यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने के भी हकदार होंगे और इसके स्थान और आवास या प्रतिपूर्ति भत्ते संबंधी ऐसी सुविधाएं तथा मोटर कार के प्रयोग पाने के पात्र होंगे, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन मंत्री (वेतन तथा भत्ते), अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 8) के अंतर्गत किसी मंत्री को मिलती हैं परन्तु यह सवारी भत्ता विपक्षी नेता को नहीं मिलेगा जबकि उन्होंने यात्रा सरकारी गाड़ी में की हो।

4. **विपक्ष के नेता को चिकित्सा सुविधाएं.**— विपक्ष के नेता तथा उसके परिवार के सदस्य उसी प्रकार चिकित्सा सुविधाएं पाने के हकदार होंगे जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन मंत्री (वेतन तथा भत्ते), अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 8) के अंतर्गत किसी मंत्री को उपलब्ध हों।

5. **विपक्ष के नेता को टेलीफोन सुविधाएं.**— विपक्ष के नेता दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन के मंत्री (वेतन तथा भत्ते), अधिनियम, 1994 (1995 का दिल्ली अधिनियम 8) के अंतर्गत किसी मंत्री को मिलने वाली टेलीफोन सुविधाएं पाने के हकदार होंगे।

6. **विपक्ष का नेता विधानसभा के सदस्यों के समान वेतन या भत्ते प्राप्त नही करेगा:**—विपक्ष का नेता इस अधिनियम के अधीन या इसके द्वारा विशेष रूप से निर्धारित के अतिरिक्त विधानसभा के सदस्य के समान वेतन एवं भत्ते के रूप में किसी भी प्रकार की राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

7. **उस तारीख से संबंधित अंतिम साक्ष्य के लिए अधिसूचना जिस तारीख से वह व्यक्ति विपक्ष का नेता बनता है या पद छोड़ता है:**—वह तारीख जिससे कोई व्यक्ति विपक्ष का नेता बनता है या पद छोड़ता है, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी तथा ऐसी अधिसूचना इस आशय का साक्ष्य होगी कि कि वह इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए उस तारीख से विपक्ष का नेता बना है या पद छोड़ देता है।

8. **1995 का दिल्ली अधिनियम 6 का संशोधन.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के सदस्यों को (वेतन, भत्ते, पेंशन इत्यादि) अधिनियम, 1994 में,

(क) धारा 2 के खंड (च) में :

77/C

(क) उप खंड (1) में "और" शब्द अंत में हटाया जाएगा :

(ख) उप खंड (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड सन्निविष्ट किया जाएगा, विद्यमान उपखंड (2) को उपखंड (3) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा :—

"(2) विपक्ष का नेता जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा में विपक्ष के नेता (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 2001 या पारिभाषित है; तथा",

(ख) धारा 9 की उपधारा (4) में यह शब्द "या दोनों," के स्थान पर शब्दों और अंकों को स्थापित किया जाएगा, या विपक्ष का नेता जिसका विवरण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 2001 में पारिभाषित विपक्ष का नेता या समस्त या किसी एक क्षमता"।

9. **दिल्ली अधिनियम, 1997 का 6 में संशोधन.**—दिल्ली विधानसभा के सदस्यों में (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1997 की अनुसूची में क्रम संख्या 2 में प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित नई प्रविष्टि सन्निविष्ट की जाएगी अर्थात् :—

"3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में विपक्ष के नेता का कार्यकाल।

स्पष्टीकरण.—"विपक्ष के नेता" का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 2001 "विपक्ष के नेता के लिए निर्धारित अर्थ होगा।"

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi the 28th March, 2002

No. F. 1(10)/95-98/LAD/291.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the President of India on 15.3.2002 and is hereby published for General information :—

"The Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries & Allowances) Act, 2001 (Delhi Act No. 6 of 2002)"

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 20th December, 2001.

An Act to provide for the salary and allowances of the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-second Year of the Republic of India as follows :-

1. Short title and commencement.—1. This Act may be called the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 2001.

2. It shall come into force on such date as the Lieutenant Governor may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions.—In this Act, unless the context otherwise requires :—

(a) "Leader of Opposition" in relation to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi means the member of the Legislative Assembly who is, for the time being, the Leader in the House, of the party in opposition to the Government having the greatest numercial strength and recognised as such by the Speaker of the Legislative Assembly;

Explanation :- Where there are two or more parties in opposition to the Government, in the Legislative Assembly, having the same numerical strength, the Speaker shall, having regard to the status of the parties, recognize any one of the Leaders of such parties as the Leader of the Opposition for the purposes of this section and such recognition shall be final and conclusive:

(b) "Speaker" means the speaker of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

3. Salary and Allowances of the leader of Opposition.—(1) The Leader of Opposition shall be entitled to receive a salary, constituency allowances and daily allowance at the same rates as are admissible to a Minister under the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1995).

(2) The Leader of Opposition shall be entitled to receive sumptuary allowance at the same rate as is admissible to a minister under the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) also Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1995).

(3) The Leader of Opposition shall also be paid such conveyance allowances, travelling allowances and daily allowances for tour outside Delhi and shall be entitled to such amenities regarding residence or compensatory allowance in liew thereof and use of motor car as are admissible to a minister under the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1995).

Provided that the Leader of Opposition shall not be entitled to any travelling allowances in case the journey is performed by him in a free official transport.

4. Medical facilities to leader of opposition.—The Leader of Opposition and members of his family shall be entitled to such medical facilities on similar terms as provided to a Minister Under the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1995).

71/C

5. Telephone facilities to Leader of Opposition.—The Leader of Opposition shall be entitled to such telephone facilities as are admissible to a Minister udner the Ministers of the Government of National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 1994 (Delhi Act 8 of 1995).

6. Leader of Opposition not to draw salary or allowances as Member of Legislative Assembly.—The Leader of Opposition shall not be entitled to receive any sum by way of salary or allowances as a member of the Legislative Assembly except what is specifically provided for by and under this Act.

7. Notification respecting the date on which person became or ceased to be Leader of Opposition to be conclusive evidence thereof.—The date on which any person became or ceased to be the Leader of Opposition shall be published in the Official Gazette, and any such notification shall be conclusive evidence of the fact that he became, or ceased to be, the Leader of Opposition on that date for all purposes of this act.

8. Amendment of Delhi Act 6 of 1995.—In the Members of Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries, Allowances, Pension , etc.) Act, 1994.

(a) In Clause (f) of Section 2.

(a) in sub-clause (i), the word "and" at the end shall be omitted;

(b) sub-clause (ii) shall be re-numbered, as sub-clause (iii) and before sub-clause (iii) as so renumbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:-

"(ii) The Leader of Oppositon as defined in the Leader of the Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 2001.

(b) in Sub-section (4) of section 9, for the words "or both", the words and figures "or as the Leader of Opposition as defined in the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salary and Allowances) Act, 2001, or has served in all or any of such capacities" shall be substituted.

9. Amendment of Delhi Act 6 of 1997.—In the Delhi Members or Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997, in the Schedule, after the entry at serial number 2, the following new entry shall be inserted namely:—3. The office of Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

Explanation:—The expression "Leader of Opposition" shall have the meaning assigned to it in the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salary and Allowances) Act, 2001.

क्र. सं. फा.-1/10/95-98/एल.ए.डी./291.—दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा में विपक्ष के नेता (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 2001 (दिल्ली अधिनियम संख्या 6 वर्ष, 2002) की धारा 1 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 1-4-2002 से इस अधिनियम को लागू करने की नियुक्ति हेतु स्वीकृति प्रदान करते हैं।

No. F.1/10/95-98/LAD/291.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of section 1 of the Leader of Opposition in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi (Salaries and Allowances) Act, 2001 (Delhi Act no. 6 of 2002), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints the 1-4-2002 as the date on which the aforesaid Act shall come into force.)

क्र. सं. एफ. 14(4)/विधायी कार्य-2002/311.—उपराज्यपाल, दिल्ली को दिनांक 28 मार्च, 2002 को मिली अनुमति के पश्चात्, विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है :—

विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2002

(दिल्ली अधिनियम संख्या : 7, 2002)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा यथा पारित)

अधिनियम

वर्ष 2001-2002 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए विधेयक।

इसे भारतीय संविधान के 53वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

(1) **संक्षिप्त शीर्षक.**—इस अधिनियम को विनियोग (संख्या-1) अधिनियम 2002 कहा जाए।

(2) **2210,91,80,000/- रुपयों का वर्ष 2001-2002 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त.**—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए बाइस सौ दस करोड़ इक्यानवें लाख अस्सी हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2001-2002 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

(3) **विनियोजन.**—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।